न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–247/17

1. भवानी सिंह पुत्र स्व. प्रहलाद सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम सताना, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. ओमकंवर,
2. संतोष कॅवर,
3. उम्मीद कॅवर, पुत्रियॉ स्व. प्रहलाद सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सताना, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. दिलीप सिंह,
5. सुमेर सिंह,
6. विजयसिंह पुत्र स्व. प्रहलाद सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम सताना , तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 25.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली के आदेश दिनांक 30.05.2017 (प्रकरण संख्या 47/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि स्व. प्रहलाद सिंह पुत्र भोपाल सिंह की मृत्यु दिनांक 04.06.1991 को होने पर उसकी खातेदारी भूमि के सम्बन्ध मे तहसीलदार विराटनगर ने नामान्तरकरण संख्या 132 दिनांक 28.02.1996 को स्वीकार किया तथा नामान्तरकरण संख्या 88 बाबत आराजी स्थित ग्राम सताना के सम्बन्ध में तहसीलदार विराटनगर ने उक्त नामान्तरकरण दिनांक 28.02.1996 को स्वीकार किया उक्त दोनों नामान्तरकरणों की एक ही अपील अपीलान्ट ओमकंवर वगैरहा ने 20 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली ने दिनांक 30.05.2017 को विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्यों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर प्रस्तुत अपील पर मियाद का बिन्दु बिना तय किये ही गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है, इसलिये अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी अपील में जो तथ्य अंकित किये वह असत्य होने से अपील मियाद बाहर खारिज किये जाने योग्य थी

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर गौर नही फरमा कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है, इसलिये अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित दो निर्णयों के विरूद्ध एक ही अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जबकि कानूनन अलग–अलग आदेशों की अलग–अलग अपीले पेश होनी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नही करते हुए मनमाना अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया है, इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश से अधिकारों की घोषणा हेतु तहसीलदार को निर्देश देते हुऐ प्रकरण प्रतिप्रेषित करने मे अहम कानूनी भूल की गई है, इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2017 को खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। किसी भी निर्वसीयती खातेदार के फौत होने पर मृतक खातेदार की विरासत का नामान्तरकरण खोलने से पूर्व मृतक के वारिसान की जांच करने के उपरान्त ही विरासती नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिये थी लेकिन नामान्तरकरण संख्या 132 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रहलाद सिंह की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण केवल खातेदार के पुत्र एवं पत्नी के नाम ही दिनांक 28.02.1996 को स्वीकृत किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 1 लगायत 3 भी खातेदार की जायन्दा सन्तान है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त नामान्तरकरण को उचित नही ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.17 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर